न्यायमूर्ति रामेश्वर सिंह मलिक के समक्ष,

श्रीमती उपिंदर लांबा - याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन. और अन्य - उत्तरदाता

1993 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15670

12 नवंबर 2014

सेवा कानून - भारत का संविधान, 1950 – खंड 226, 14 एवं 16—रिट क्षेत्राधिकार—पंजाब सिविल सेवा नियम, 1970 वॉल्यूम1 मैं, भाग 1 मैं - नियम 4.13—'अगला नियम'—प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत—श्रीमती उपिंदर लांबा बनाम पंजाब राज्य और अन्य याचिकाकर्ता-प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को 'अगले नियम के तहत' का सेवा लाभ पहले ही दिया जा चुका है और कारण बताने का अवसर दिए बिना वापस ले लिया गया और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया- निर्धारित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया- आगे कहा गया कि बिना बताए सेवा लाभ अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया गया लेखा परीक्षा आपत्ति को छोड़ने के कारण - गंभीर पूर्वाग्रह के कारण याचिकाकर्ता - अधिकारियों ने मनमाने तरीके से काम किया - रिट याचिका आक्षेपित आदेश के अनुमत और आपत्तिजनक भागों को अलग रखा गया।

निर्धारित किया गया कि प्रतिवादी प्राधिकारियों से इसकी अपेक्षा कम से कम थी, विशेष रूप से उत्तरदाता क्रमांक 1 और 2 विवादित आदेश पारित करने से पहले कि कम से कम एक कारण बताओ नोटिस या याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था । ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आक्षेपित है ये आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा कर रहे थे प्राकृतिक के बुनियादी सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए पारित किया गया न्याय है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में उत्तरदाताओं का यह मानना नि:संकोच है कि क्रमांक 1 और 2 ने आक्षेप पारित करते समय अत्यंत मनमाने ढंग से कार्य किया, जो प्रथम दृष्टया अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हैं और इस प्रकार संविधान कायम नहीं रह सकता।

(पैरा 12)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया कि प्रभावित व्यक्तियों के पास उचित कारण होना चाहिए सुनवाई का अवसर और सुनवाई वास्तविक होनी चाहिए और कोई खोखला जनसंपर्क अभ्यास नहीं है। यह एक उत्तम नियम है कि कानून के शासन को सुरक्षित करने के लिए रचना कि गई है और किसी दिए गए मामले में इसके आवेदन से बचने के लिए अदालत को बहुत अधिक तैयार नहीं होना चाहिए। अलिखित अधिकार सुनवाई किसी भी प्राधिकारी द्वारा उचित निर्णय के लिए मौलिक है जो पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवादास्पद मुद्दे का निर्णय करता है।

(पैरा 15)

प्रशांत कुमार शर्मा, अमर विवेक के अधिवक्ता, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

चंडीगढ़ प्रशासन के लिए कोई नहीं।

वैभव शर्मा, डीएजी, पंजाब।

निर्णय

रामेश्वर सिंह मलिक, जे. (मौखिक)

1) चार रिट याचिकाओं का यह समूह सीडब्ल्यूपी 1993 कि संख्या 15670, 1993 का 15671, 1994 का 320 और 2001 का 16642 प्रस्तावित हैं। इस सामान्य आदेश द्वारा एक साथ निर्णय लिया जाएगा क्योंकि ये सभी एक ही सेट के मामले उत्पन्न हो रहे हैं और समान तथ्य और मुद्दे इसमें शामिल हैं। हालाँकि, संदर्भ की सुविधा के लिए 1993 का सीडब्ल्यूपी नंबर 15670 के तथ्यों को देखा जा रहा है।

(2) दिनांकित आदेश 5/18.11.1993 को पारित किया गया है जिसके विरुद्ध तीन रिट याचिकाएँ निर्देशित हैं, जिनमे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जिससे पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 4.13 के तहत 'अगला नियम', खंड 1 भाग 1 (संक्षेप में 'नियम') प्रतिनियुक्तिवादी होने के कारण याचिकाकर्ताओं को बिना कोई आदेश जारी किए वापस ले लिया गया व कारण बताओ नोटिस या व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला। 2001 की सीडब्ल्यूपी संख्या 16642, चौथी रिट याचिका, श्रीमती उपिंदर लांबा द्वारा दाखिल की गई है है, निवेदक मैंडामस रिट की मांग कर रहे हैं जिसमे प्रतिवादी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और ब्याज सहित अवकाश नकदीकरण व डेथ-कम-रिटाइअर्मन्ट/सेवानिवृत्ति जारी करने का निर्देश दिया है ।

(3) प्रस्ताव की सूचना जारी की गई और उसके अनुसरण में संबंधित उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से लिखित बयान दायर किए गए थे, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 3 ने अपना अलग-अलग लिखित बयान दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रतिकृतियां दाखिल कीं।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना था कि याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साथ प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है, उन्हें लेक्चरर के पद पर पदोन्नत किया जाना था। वह आगे यह भी कहा गया है कि वास्तव में हुआ था क्योंकि प्रतिवादी-विभाग के उच्च अधिकारी ने पदोन्नति की याचिकाकर्ताओं को लेक्चरर पद के लिए पूरी तरह से ढूंढ लिया गया है और उक्त पद के लिए वे पात्र एवं सक्षम है। उनका यह भी मानना है कि इसका कारण यह है कि उत्तरदाताओं क्रमांक 1 और 2 ने 'अगले नीचे नियम' का सही ढंग से पालन किया और तदनुसार याचिकाकर्ताओं का वेतनमान तय किया गया। हालाँकि, शर्त यह है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 01.10.2018 से बकाया राशि दिनांक 12.3.1993 का संचार (अनुलग्नक पी-4) मिलेगी वह अवैध था क्योंकि ऐसी कोई शर्त याचिकाकर्ताओं के नुकसान कि नहीं रखी जा सकती थी। हालाँकि, आक्षेप पारित करने से पहले आदेश दिनांक 5/8.11.1993 (अनुलग्नक पी-6) उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 को न ही कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही होने का कोई अवसर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को सुनवाई की अनुमति दी गई, जिससे मूल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। अब वह आदेश दिनांक 5/18.11.1993 और आदेशों के आपत्तिजनक भाग अनुलग्नक पी-3 और पी-4 में इन रिट याचिकाओं को अनुमति देकर आरोपित को अलग करने की प्रार्थना करता है।

(5) उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

(6) इसके विपरीत, राज्य-प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील कहते है कि यद्यपि यह सही था कि यदि याचिककर्तों को उत्तरदाताओं क्रमांक 1 और 2 के साथ प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया होगा

तो दिनांक 16.3.1968 से लेक्चरर पद पर उन्हे पदोन्नत किया गया होता और लेक्चरर पद के लिए वेतनमान के हकदार हो गये होते , फिर भी जब याचिकाकर्ताओं को लेक्चरर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया तब उन्होंने पदोन्नत पद पर ज्वाइन नहीं किया। अंत में, वह प्रार्थना करते है कि उचित आदेश पारित किया जाए।

(7) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद मामले के रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद काफी लंबाई और उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचारपूर्वक विचार करते हुए, यह न्यायालय की सुविचारित राय है कि दिए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन मामलों की स्थिति से ये सभी चार रिट याचिकाएँ उचित हैं और निम्नलिखित एक से अधिक कारणों से अनुमति दी गई है।

(8) एक बार यह रिकॉर्ड पर निर्विवाद हो गया कि उत्तरदाताओं के बाद से नंबर 1 और 2 ने कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया और न ही कोई नोटिस दिया पारित करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर जिन आदेशों पर सवाल उठाया गया, उनके खिलाफ अस्वीकार करने के लिए शायद ही कोई सामग्री थी जो इन रिट याचिकाओं के माध्यम से राहत की मांग की जा रही है। एक संयुक्त अनुलग्नक पी-3 से पी-6 में निहित संचार को पढ़ा जाएगा कि उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 की ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था या तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी करें या होने का अवसर प्रदान करें विवादित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुना। इस मामले को देखते हुए यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विवादित आदेश पारित करते समय बुनियादी सिद्धांत प्रतिवादी द्वारा प्राकृतिक न्याय का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है।

(9) इसके अलावा, एक बार पात्रता, योग्यता और पात्रता याचिकाकर्ताओं को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए उनकी संबंधित नियत तारीखें कभी भी विवाद में नहीं रहीं। सेवा लाभ में याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया है और यह पाया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी के किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया गया है या रोका गया है, लेकिन इसका कोई वाजिब कारण नहीं है. हालाँकि, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई कारण सामने नहीं आ रहा है। ऐसा कहने के बाद, यह न्यायालय महसूस करता है कि यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है और विवादित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध हैं और इस कारण से भी इसे कायम नहीं रखा जा सकता।

(10) लिखित बयान में उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 द्वारा लिया गया एकमात्र स्टैंड, आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय एक ऑडिट था. हालाँकि, भले ही उक्त आधार उत्तरदाताओं की ओर से लिया गया क्रमांक 1 और 2 स्वीकृत हैं, फिर भी उन्हें सुनिश्चित करना कानूनी दायित्व के अधीन था प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक अनुपालन है। तथापि, वे ऐसा करने में असफल रहे। इस प्रकार, विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता जिसका ये भी कारण है।

(11) मौजूदा मामले जैसा ही विवाद सीडब्ल्यूपी1966 कि संख्या 314 में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के समक्ष यह विचार आया। राज्य की ओर से उठाए गए विवादों को दूर करते हुए, डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं जो वर्तमान मामले में लाभप्रद ढंग से पालन किया गया हैं:-

> “उपरोक्त नोट 4, आधिकारिक रूप से सर्वविदित बातों को विस्तार से 'अगले नीचे नियम' के रूप में बोलचाल की भाषा में बताता है। हालाँकि इस नियम का आयात पूरे देश में सर्विस रूल को अच्छी तरह से समझा जाता है फिर भी नहीं इसकी परिभाषा पंजाब सिविल सेवा नियमों में दिखाई देती है और न हीं इस नियम की सटीक परिभाषा निर्धारित करने की आवश्यकता है। हालाँकि, क्या 'अगले नीचे नियम' से

आंतरिक रूप से संकेत मिलता है कि एक अधिकारी है अपनी नियमित पंक्ति से बाहर (प्रतिनियुक्ति आदि सहित) होने का हकदार है माता-पिता में उच्च पद पर आसीन दर्शाए जाने के लिए पदोन्नत किया गया विभाग यदि उसके नीचे अगला सरकारी कर्मचारी रहा हो पदोन्नत. यह नियम अधिकारी को उसकी नियमित लाइन के भीतर या सुनिश्चित करता है वह किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होगा उसे उस पद पर बहाल कर दिया गया जो वह अपने माता-पिता के समय ग्रहण करता विभाग यदि उसे इस प्रकार प्रतिनियुक्त नहीं किया गया होता। हालाँकि भाषा में नोट 4 के जो प्रावधान हैं, वे अस्पष्ट हैं, फिर भी वहां से यह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि इसका उद्देश्य रक्षा करना है उस अधिकारी के हित जो स्थानापन्न होने का हकदार है पदोन्नति वास्तव में उसके होने के कारण अवसर का लाभ नहीं उठा सकती है, नियम यह बताता है कि 'नियमित रेखा' से बाहर या बाहर सेवा की सामान्य पंक्ति। नोट 4 के प्रावधान आगे प्रदान करते हैं सक्षम बनाने की व्यवस्था करना ही उचित मार्ग होना चाहिए, वे अधिकारी जो नियमित लाइन से बाहर हैं या प्रतिनियुक्ति पर हैं अन्य विभागों को क्रमानुसार ऐसे विशेष पदों से मुक्त किया जाना है और उन्हें एक पर्याप्त अवधि के लिए उन्हें स्थानापन्न पदोन्नति के अवसरों से वंचित न किया जाए जो स्थानापन्न पदोन्नति के रूप में अर्जित हो सकता है । इस प्रकार एक आवश्यकता डाली गई है जिस अधिकारी को मौका मिले उसे वापस बुलाने की व्यवस्था सरकार करेगी। स्थानापन्न पदोन्नति मिलने की संभावना है। हालाँकि, यह प्रदान किया गया है जहां सार्वजनिक हित में या सेवा की अन्य अत्यावश्यकताओं में अधिकारी को वापस नहीं बुलाया जा सकता तो ऐसी स्थिति में वह इसका हकदार होगा के अधिक वेतन वाली पोस्ट पर वेतन से मूल विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाना है। इसलिए, सार रूप में, नोट 4 के प्रावधान तात्पर्य यह है कि या तो सरकार पात्र अधिकारी को वापस बुला लेती है स्थानापन्न पदोन्नति को नियमित लाइन पर वापस लाना या उसमें असफल होना, यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे अधिकारी को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है या उसे वापिस नहीं बुलाया जा सकता था

बेशक, याचिकाकर्ता के पास एक विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड है और उस स्कोर पर किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। कोई भी बार नोट 4 में उल्लिखित संभवतः के मामले में लागू हो सकता है याचिकाकर्ता और वास्तव में यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि वे करना। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का मामला स्पष्ट रूप से दायरे में आता है नोट 4(i) का और इस प्रकार वह उन लाभों का हकदार होगा आवश्यक रूप से 'अगले नीचे नियम' के लागू होने से अर्जित होना चाहिए।

तब प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री मोंगिया ने कहा तर्क दिया कि भले ही नियम के प्रावधान लागू थे याचिकाकर्ता के मामले में उसने स्वयं माफ़ कर दिया है या जब्त कर लिया है। उन्होंने पुरजोर दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अपने अर्ध-सरकारी पत्र दिनांक 2 जून 1959 को अनुरोध किया गया था पुनर्वास मंत्रालय से उनकी वापसी होनी चाहिए अधिमानतः उन्हें दिल्ली में तैनात किया जाए क्योंकि उनका अपना बेटा प्रशिक्षण ले रहा था दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में नौकरी की और वहां कोई छात्रावास नहीं था, ऐसे प्रशिक्षण के लिए आवास। वह तब से इसे प्रस्तुत करता है याचिकाकर्ता को कुछ समय के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश के रूप में तैनात किया गए थे ,13

सितम्बर, 1959 से उन्हें दिल्ली में सेशन जज बनना पड़ा इस प्रकार यह माना जाएगा कि उन्होंने "अगला नीचे नियम" का लाभ पाने का अपना अधिकार त्याग दिया है ।

इस विवाद में शायद ही कोई दम है.। याचिकाकर्ता का अनुरोध दिल्ली में पोस्टिंग के लिए निर्दोष था सेवा का सामान्य क्रम. याचिकाकर्ता कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं था वापस बुलाया गया और न ही किसी भी स्तर पर उसने अपने पेरन्ट विभाग के पास वापस जाने से इनकार किया । प्रतिवादी का मामला कभी ऐसा नहीं था कि याचिकाकर्ता को यह सूचित किए जाने पर भी कि वह चयन ग्रेड के लाभ को खो देगा, पंजाब राज्य में सेवा में लौटने से इनकार कर दिया. इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि दूर से यह भी संकेत मिलता है कि वह इसके लाभों को छोड़ देगा चयन ग्रेड जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थे याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों ग्रेडों की परिलब्धियों में अंतर वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था।

xx xx xx

प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर हलफनामे की प्रतिकृति में यह है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री. पी.डी. शर्मा (अब श्री न्यायमूर्ति पी.डी. शर्मा) और श्री पी.पी.आर. साहनी को फायदा दिया गया था, 11 मई, 1999 से प्रभावी 'अगले नीचे नियम' का बताया गया कि वास्तव में उन्हें इसकी अनुमति दी गई थी चयन ग्रेड जिले की परिलब्धियाँ और लाभ इस अवधि के दौरान सत्र न्यायाधीश और, इसलिए, आवश्यकताएँ नियम 4.13 और उसके तहत दिए गए नोटिस से भी वे संतुष्ट थे। यह इस तथ्य का उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है इसलिए, स्थिति यह है कि वरिष्ठ व्यक्ति याचिकाकर्ता जो इस अर्थ में समान रूप से स्थित थे कि वे राज्य के भीतर प्रासंगिक समय पर सेवा भी नहीं दे रहे थे और पंजाब को नियम के तहत लाभ दिया गया है। उसी प्रकार यह उस व्यक्ति के लिए स्वीकृत पद है जो उससे कनिष्ठ है सर्वश्री बद्री पार्षद पुरी एवं हंस राज ने भी आनंद लिया 11 मई 1959 और 18 अक्टूबर, 1960 की अवधि के बीच चयन ग्रेड का लाभ,कोई यह नहीं समझ पा रहा कि किस तर्क से संभवतः, क्या याचिकाकर्ता को उसके चयन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

इन परिस्थितियों में उपरोक्त तथ्यों से यह भी ध्यान देने योग्य है कि वास्तव में लाभ क्या है इस नियम का बहुत से अधिकारियों को अधिकार दिया गया है चयन ग्रेड में निकली रिक्तियों से भी बड़ी सुपीरियर न्यायिक सेवा के. यह तथ्यात्मक स्थिति है उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता लाभ का हकदार नहीं होगा क्योंकि वह नहीं था सुपीरियर ज्यूडिशियल की वरिष्ठता सूची के नंबर 1 या नंबर 2 पर सेवा अधिकारी अवश्य ही असफल होंगे।"

(12) इसके अलावा, यह प्रतिवादी अधिकारियों से कम से कम अपेक्षित था कि विशेष रूप से उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 कि कम से कम एक शो कारण नोटिस या सुना जाने का अवसर याचिकाकर्ताओं को लगाए गए आदेशों को पारित करने से पहले दिया जाना चाहिए था। ऐसा कहा जाता है क्योंकि लगाया गया याचिकाकर्ताओं को आदेश गंभीर पूर्वाग्रह पैदा कर रहे थे, जैसे कि प्राकृतिक के मूल सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किए गए थे न्याय. इस तरह की तथ्य की स्थिति में यह अनजाने

में आयोजित किया जाता है कि उत्तरदाता नंबर 1 और 2 ने सबसे मनमाने तरीके से काम किया, जबकि पास किया यह आदेश, जो यह हैं कि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हुए इस प्रकार, संविधान को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(13) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी इसका समर्थन करते है। विकास ऑडी अल्टरम पार्टम के शासन की प्रयोज्यता से संबंधित कानून प्रशासनिक कार्यों के लिए, से सही पता लगाया जा सकता है ***ए.के. क्रिपक*** बनाम ***भारत*** संघ[1] ***, रिज*** *बनाम* ***बाल्डविन[2], सईदुर रहमान*** *बनाम* ***राज्य का बिहार[3], ओरिसा राज्य*** *बनाम* ***डॉ. (मिस) बिनपनी देई[4], मेनका गांधी*** *बनाम* ***भारत का संघ[5], और मोहिंदर सिंह गिल*** *बनाम* ***मुख्य चुनाव आयुक्त[6].***

(14) इन सभी निर्णयों में निर्धारित श्रृंखला कानून दिया गया है कि में लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया निर्णय और हाल के निर्णय हैं ***श्री राधी श्याम (मृत)*** एल.आर ***और अन्य के माध्यम से*** *बनाम* ***यू.पी. और अन्य[7]; दर्शन लाल नागपाल (मृत) एल.आर.*** *बनाम* ***दिल्ली की एनसीटी सरकार और अन्य[8].***

(15) प्रभावित व्यक्तियों के पास उचित अवसर होना चाहिए सुनने का और सुनवाई एक वास्तविक सुनवाई होनी चाहिए न कि एक खाली जनसंपर्क अभ्यास। यह एक पूर्ण नियम है जिसे रचित किया गया है कानून के शासन को सुरक्षित करें और अदालत को किसी दिए गए मामले में अपने आवेदन में बचने के लिए इससे अधिक तैयार नहीं होना चाहिए। सुनवाई का यह अलिखित अधिकार है किसी भी पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला विवादास्पद मुद्दा प्राधिकरण द्वारा जो निर्णय लेता है वह एक उचित निर्णय के लिए मौलिक है।

(16) कोई अन्य दलील नहीं दी गई थी।

(17) मामले के अजीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लेख किया गया है, उपरोक्त कारणों के साथ, यह न्यायालय निर्धारित करता है कि चूंकि लागू आदेश दिनांकित

---

[1] 1962) 2 एससीसी 262
[2] 1964 एसी 40
[3] बिहार (1973) 3 एससीसी 333
[4] एआईआर 1976 एससी 1269
[5] (1978) 1 एससीसी 248
[6] (1978) 1 एससीसी 405
[7] 2011 (5) एससीसी 553
[8] 2012 (2) एससीसी 327

5/18/11/1993 (अनुलग्नक पी -6) और दिनांक 23.2.1993 के आदेशों के अपमानजनक भाग और 2.3.1993, जिसके तहत वेतन के बकाया की अनुमति नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता इसके द्वारा अलग रखे गए हैं।

(18) नतीजतन, उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 को निर्देशित किया जाता है की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जरूरतमंद इस आदेश की प्रमाणित प्रति करे। आदेश के परिणामस्वरूप में पारित की गई तीन रिट याचिकाएं, चौथी रिट याचिका, अर्थात्. 2001 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16642 है भी अनुमति दी जाती है।

(19) उत्तरदाताओं को राशि जारी करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के कारण और बिना किसी और देरी के याचिकाकर्ता के पक्ष में अतिक्रमण दे दें। इन रिटायरल/सेवनिवृति लाभ के बाद से उत्तरदाताओं को अवैध रूप से रोक दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता दिनांक राशि से प्रति वर्ष ब्याज @ 9% के लिए भी हकदार होगा जो वास्तविक भुगतान की तारीख तक कारण बन गया है। मामले में जरूरतमंद नहीं किया जाता है कि निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता 12% प्रतिवर्ष ब्याज के लिए हकदार होगा।

(20) परिणामस्वरूप ये सभी चार रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं, हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
पोस्टिंग का स्थान: भिवानी

Hardik Sachdeva
Trainee Judicial Officer
Place of Posting: Bhiwani